कार्यालय संभागीय मुख्य वन सरक्षक, कोटा।

Add. Near Chambal Rest House, Kishorpura Kota-324009E-Mail :- ccffdp.kota @ gmail.com Tel.No. 0744-2500194

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./ मु.व.स./2024–25/ 4814 दिनांक 22.8.2024

निमित्तः–

उप वन संरक्षक
बारां।

विषय :– Diversion of 286.47 ha of forest land in favour of Engineer wate Resourse Division III, Baran Construcation of Hatiyadeh Medium Irrigation project in Baran District, Rajasthan. (Proposal No.FP/RJ/IRRIG/27263/2017)

संदर्भः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल ऑफिसर एफसीए राजस्थान जयपुर के पत्रांक 1982 दिनांक 20.07.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आलौच्य प्रकरण में आप द्वारा प्रेषित अनुपाला का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 04.02.2021 के क्रम में परीक्षण किये जाने के उपरान्त निम्नानुसार सूचना दिया जाना अपेक्षित है।

1. केट प्लान पर आपकी टिप्पणी चाही गई थी जो अप्राप्त है।
2. प्रकरण में यूजर ऐजेन्सी द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अकलेरा सागर (17.66 है0) तीखोद पाटूंदा (242.5 है0)एवं नचनाखेडा (286.496 है0) में दी गई है। पार्ट II में नवीन स्थल उपयुक्कता प्रमाण पत्र जारी किया जाना प्रस्तावित है।

अतः सलंग्न पत्र अनुसार समस्त बिन्दुओ की पूर्ति कर सूचना शीव्र इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे ताकि प्रकरण को स्वीकृति हेतु उच्च कार्यालय को भिजवाया जा सके।

(रामकरण खैरवा)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./मु.व.स./2023–24/ 4820 दिनांक 22.8.2024

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल ऑफिसर एफसीए राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर--302004

क्रमांक: एफ. 14(170/17)2017 / एफसीए / प्रमुवसं / 1987 दिनांक 20/07/2024

मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषयः– Diversion of 286.47 ha of forest land in favour of Executive Engineer water Resource Division III, Baran Constrution of Hatiyadeh Medium Irrigation project in Baran Distirct, Rajasthan. (Proposal No. FP/RJ/IRRIG/27263/2017)

संदर्भः–आपका पत्रांक 3745 दिनांक 09.07.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित अनुपालना का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 4.2.2021 के कम में परीक्षण किये जाने के उपरांत निम्नानुसार सूचना दिया जाना अपेक्षित हैः–

1. बिन्दु संख्या 1 के कम में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित केट प्लान (CAT Plan) एवं अनुमोदित प्लान R&R Plan की प्रति चाही गयी है। जिसके कम में यूजर ऐजेन्सी द्वारा मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग से 204.52 लाख का केट प्लान (CAT Plan) एवं जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित R&R Plan की प्रति प्रस्तुत की गयी है। **किन्तु केट प्लान (CAT Plan) पर उप वन संरक्षक /मुख्य वन संरक्षक की टिप्पणी चाही गयी थी जो अप्राप्त है।**
2. क्षैत्रीय अधिकारी के स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में निम्न बिन्दुओ को रिपोर्ट किया गया था जिसके कम में सूचना की सिथति निम्नानुसार हैः–
   a) प्रकरण में यूजर ऐजेन्सी द्वारा क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि अकलेरा सागर (17.66 है0), तीखोद पाटूंदा (242.5 है0) एवं नचनाखेडा (26.336 है0) कुल 286.496 है0 में दी गयी है किन्तु पार्ट II में स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र तत्कालीन उप वन संरक्षक बांरा द्वारा पाटूंदा (102.08 है0 एवं 66.72), तीखोद पाटूंदा (117.70 है0) कुल 286.5 है0 संलग्न किया गया है। **गैर वन भूमि के बदलाव होने पर उप वन संरक्षक द्वारा नवीन स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी किया जाना प्रस्तावित है।**
3. प्रस्तावित गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण न होने की दशा में रोपित किये जाने वाले 1000 पौधो में से अवशेष पौधों का पारिभ्राषित वन क्षैत्र में लगाया जा सकता है। इस हेतु पृथक से डी0एफ0एल0 लिया जाना प्रस्तावित है। इस क्रम में मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा अवगत कराया गया है कि 95.67 है0 गैर वन भूमि पर ही वृक्षारोपण करवाया जावेगा। शेष वृक्षारोपण डी0एफ0एल0 पर किया जावेगा। **उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्तावित गैर वन भूमि पर नवीन वृक्षारोपण योजना मय डी0एफ0एल0 संलग्न नही की गयी है। उप वन संरक्षक गैर वन भूमि की पौधे लगाये जाने अनुसार पेचवाइज क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना एवं अवशेष पौधों को पारिभ्रषित वन पर लगाये जाने हेतु क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना मय KML file, DGPS map, GT Sheet map, Sutaibility Certificate etc.** लगाया जाना प्रस्तावित है।

अतः अनुरोध है कि उक्त सूचना शीघ्र उपलब्ध करायी जावे ताकि प्रकरण को स्वीकृति हेतु उच्च कार्यालय को भिजवाया जा सके।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीया,
Shikha
(शिखा मेहरा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ. 14(170/17)2017 / एफसीए / प्रमुवसं / दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप वन संरक्षक, बारां।
2. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग, खण्ड–बारां।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)
****

Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj, Jor Bagh Road,
New Delhi: 1100 03,
Dated: 4th February, 2021

To,
The Principal Secretary (Forests),
Department of Environment and Forests,
Government of Rajasthan.
Jaipur.

Sub: Proposal for diversion of 286.47 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, Water Resource Division III, Baran for Construction of Hathiyadeh Medium Irrigation project in Baran district, Rajasthan State-reg.,

Madam/Sir,

I am directed to refer to the State Government of Rajasthan's letter no. P.1 (48) VAN/2019 dated 11.12.2020 forwarding the point- wise reply on the observation made vide Ministry's letter of even no. dated 11.12.2019 read with reminder dated 28.07.2020. It would be pertinent to mention here that the information provided is still without approved Catchment Area Treatment Plan and R& R plan which has been sought in earlier references.

Meanwhile, Integrated Regional Office, Jaipur in response to this Ministry's letter dated 02.01.2020 has submitted Site Inspection Report (SIR) regarding proposed forest land diversion. After, examination of the Site Inspection Report done by IRO, Jaipur and reply furnished by the State Govt. vide above referred letter dated 11.12.2020, the following is observed:-

i. The approved Catchment Area Treatment (CAT) Plan with the estimated cost of the plan and approved R&R plan as sought vide Ministry's letter dated 11.12.2019 have not been submitted.

a. In SIR done by Integrated Regional office, Jaipur following is reported: -

b. In some part of area proposed for compensatory afforestation encroachment is observed on Google overlay of shape files provided. Therefore, site suitability of compensatory afforestation is to be re assessed and if need be additional compensatory afforestation patch to compensate the loss of proposed forest diversion may be pledged.

c. Out of proposed compensatory afforestation patches, 44 ha of non-forest land is falling under submergence area of proposed Navnera barrage.

d. The number of trees/poles to be felled mentioned in the Part-II (online) are at variance with the number given in the list attached with the proposal.

Secy., Forest
JSF
Sh. Ajay
10.2.21

ii. Muck Calculation and muck disposal scheme needs to be submitted with the proposal.

iii. The total cost outlay of the project in the Part-I is 232.5 lakhs whereas the Cost Benefit Analysis provided with the proposal mentions the cost of construction as 19602 lakhs.

iv. In few patches of pledged non-forest land for compensatory afforestation dense forest is observed which may not be suitable for planting 1,000 nos per ha as provided in para 2.8(i) of Handbook of FCA-1980. Therefore, to plant out remaining saplings in degraded forest land details of locations are to be provided. If possible the kml files of the proposed degraded forest land shall be submitted.

In view of the above, the State Government is requested to submit the information on the points indicated above along with revised CA scheme and revised KML file of CA for further consideration of the proposal.

Yours sincerely,

(Suneet Bhardwaj)
Asstt. Inspector General of Forests (FC)

Copy to:-

1. The Principal Chief Conservator of Forests & HoFF, Government of Rajasthan, Jaipur;
2. The Regional Officer (C), Regional Office (CZ), Jaipur;
3. The Nodal Officer, FCA O/o PCCF, Forest Department, Government of Rajasthan, Jaipur;
4. User Agency;
5. Monitoring Cell, FC Division, MoEF & CC, New Delhi, for uploading on PARIVESH portal;
6. Guard File.

Signature Not Verified

Digitally signed by SUNEET BHARDWAJ
Date: 2021.02.03 21:39:29 IST